झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–629 वर्ष 2017

1. रानिया मांझीयाईन उर्फ रानिया देवी
2. मनीराम मांझी .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड अपने अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, दरभंगा हाउस, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–रांची के माध्यम से।
2. निदेशक, (कार्मिक), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–रांची।
3. महाप्रबंधक (पी एंड आईआर), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, दरभंगा हाउस, डाकघर–जी0पी0ओ0, थाना–कोतवाली, जिला–रांची।
4. महाप्रबंधक, राजरप्पा क्षेत्र, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर और थाना–राजरप्पा, जिला–रामगढ़ (झारखंड)।
5. परियोजना अधिकारी, राजरप्पा परियोजना, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, डाकघर और थाना–राजरप्पा, जिला–रामगढ़ (झारखंड)।
6. वरिष्ठ अधिकारी (एम एंड पी), राजरप्पा परियोजना, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, एट, डाकघर और थाना–राजरप्पा, जिला–रामगढ़ (झारखंड)।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री रत्नेश कुमार, अधिवक्ता

श्री ओम प्रकाश प्रसाद, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिएः— श्री अमित कुमार दास, अधिवक्ता

6 / 17.01.2019 पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

यह अनुकंपा नियुक्ति के अनुदान का मामला है। याचिकाकर्ता संख्या 1 के पति की मृत्यु सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में सेवा के दौरान दिनंक 15.10.2015 को हुई। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपने बेटे को अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आवेदन किया था। उक्त आवेदन दिनांक 14.04.2016 को इस आधार पर ठुकरा दियाा गया था कि बेटे के नाम को सेवा अंशों और सेवा रिकॉर्ड में नहीं है, इसप्रकार, इस याचिकाकर्ता को अपने लिए अनुकंपा नियुक्ति देने के लिए आवेदन करना चाहिए। दिनांक 13 / 14.04.2016 के इस पत्र को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता संख्या 1 के बेटे के नाम को सेवा अंश / सेवा रिकॉर्ड में जगह नहीं मिली है, यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 (मनीराम मांझी) मृतक का बेटा नहीं है। उन्होनें कहा कि कई अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कई अन्य दस्तावेज हैं, जो यह सुझाव देंगे कि याचिकाकर्ता संख्या 2 (मनीराम मांझी) मृतक का बेटा है। उन्होनें कहा कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में एक विवाद निवारण समिति है, जो इस प्रकार के विवादों को देखती है और इस मामले को उक्त समिति को भेजा जाना चाहिए था।

उत्तरदाताओं— सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि कंपनी का एक संकल्प इस आशय का है कि केवल ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम सेवा के अंशों में दर्ज है, को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की पेशकश की जा सकती है। मृत कर्मचारी की सेवा की पूरी अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता संख्या 2 (मनीराम मांझी) का नाम सेवा रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है, जो बताता है कि अनुकंपा नियुक्ति के उद्देश्य से मृतक की मृत्यु के बाद ही उसे बेटे के रूप में पेश किया गया था।

प्रतिद्वंद्वी दलीलों और पार्टियों के बीच विवाद की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में विवाद निवारण समिति मौजूद है, जो इस प्रकार के विवादों को हल करने की कोशिश करती है, मैं निदेशक (कार्मिक), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड को याचिकाकर्ताओं के मामला को विवाद निवारण समिति के समक्ष भेजने का निर्देश देता हूँ, जो याचिकाकर्ताओं को पर्याप्त अवसर देने के बाद कानून के अनसार याचिकाकर्ताओं के मामले पर विचार करेगा और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से 12 (बारह) सप्ताह के भीतर एक युक्तियुक्त आदेश पारित करके याचिकाकर्ताओं के आवेदन का निपटान करेगा। समिति याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच करेगी।

इस प्रकार, आक्षेपित आदेश 13/14.04.2016 को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है और इस मामले को उत्तरदाताओं (सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड) की विवाद निवारण समिति को भेजा जाता है, ताकि याचिकाकर्ताओं के मामले को उक्त तरीके से देखा जा सके।

उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)